

स्वायत्त उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - झाण्डा)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. ५९२/२५ दापर दिनांक ०२/१०/२५ निर्णय दिनांक ०२/१०/२५



ग्रामीण सेवा शिबिर-2025

क्र.सं.	नाम - ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>झाण्डा</u>	<u>५२२</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना वहाँदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p><u>शुद्ध प्रविष्टी</u></p>	<p>कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसिलीदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा.आधि. 1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>झाण्डा</u> प.ह. <u>झाण्डा</u> खातासं. <u>१५२२</u> में वर्तमान प्रविष्टि बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
			<p>हस्ताक्षर पटवारी</p> <p>हस्ताक्षर गिरदावर</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p>	<p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

तहसीलदार (भू.अ.)
सहायक कलक्टर
तहसील कपासन जिला - चितौड़गढ (उपखण्ड अधिकारी)

कपासन जिला - चितौड़गढ